कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), वन भवन, तुलसी नगर, म.प्र., भोपाल

क्रमांक / एफ–1 / 845 / 2022 / 10–11 / 1668 भोपाल, दिनांक 18/03/2024
प्रति,

वन मंडल अधिकारी,
सामान्य वन मंडल, सिंगरौली,म.प्र.।

विषयः– **वन मंडल सिंगरौली के परिक्षेत्र बैढ़न, माड़ा पूर्व सरई के विभिन्न RF वन कक्षों के रकबा 1335.35 हे. वनभूमि तथा विभिन्न खसरों की रकबा 62.19 हे. राजस्व वनभूमि कुल 1397.54 हे. वनभूमि में धिरौली कोल ब्लॉक अन्तर्गत ओपन कास्ट कोयला उत्खनन तथा उपरी सतह उपयोग के व्यपवर्तन का– मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेज प्रा.लि. का आर्नलाईन प्रस्ताव क्र.FP/ MP/ MIN/142344/2021**

संदर्भः–1.इस कार्यालय का पत्र क्र. / F-1/845/2022/10-11/847 दिनांक 06 / 02 / 2024
2.आपका पत्र क्रमांक / 1814 दिनांक 13 / 03 / 2024

–0–

विषयांकित परियोजना के सम्बन्ध में आपके संदर्भित पत्र से प्राप्त जानकारी का परीक्षण करने पर निम्नानुसार कमियां / त्रृटियां पाई गई है :–

1. ऑनलाईन प्रस्ताव के फार्म–ए के भाग–1 में अनुक्रमांक C.(ii)(a) में अपलोड KML File में 16 पेंचस के रकबों का गणना करने पर रकबा 1329.04 हे. वनभूमि तथा राजस्व वनभूमि के विभिन्न खसरों के 20 पेंचस का रकबा 62.48 हेक्टेयर हो रहा है। इस प्रकार 1329.04 + 62.48 = 1391.52 हेक्टेयर रकबा अपलोड होना पाया गया है जो आवेदित रकबे 1397.54 हेक्टेयर से कम है। अतः KML File में आवेदक संस्था से सुधार करावे तथा अपने स्तर पर गणना कर सही जानकारी प्रस्तुत करें।
2. आपके द्वारा भाग–2 में आवेदित वनभूमि एव राजस्व वनभूमि में विभिन्न प्रजातियों के 5,70,666 वृक्षों की जानकारी अपलोड की गई है परन्तु भारत सरकार के पत्र दिनांक 02 / 02 / 2024 के बिन्दु क्रमांक–2 अनुसार चरणवार कटाई के विवरण की जानकारी पर आपके द्वारा कोई टिप्पणी / अभिमत नहीं दिया गया है।
3. भारत सरकार के पत्र दिनांक 02 / 02 / 2024 में वर्णित बिन्दु क्रमांक (xv) के सम्बन्ध में भी आपके द्वारा कोई टिप्पणी / अभिमत नहीं दिया गया है।

आपके द्वारा आवदेक संस्था द्वारा प्रस्तुत जानकारी पर कवरिंग पत्र लगाकर हूबहू जानकारी इस कार्यालय को भेज दी गई है जबकि इस कार्यालय द्वारा आपको निर्देशित किया गया है कि जानकारी आपके अभिमत / अनुशंसा सहित इस कार्यालय को भिजवाये।

अतः आपसे प्राप्त जानकारी मूलतः वापस कर लेख है कि आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत जानकारी का अपने स्तर पर परीक्षण कर आवश्यक सुधारोपरान्त जानकारी आपकी टिप्पणी / अभिमत सहित इस कार्यालय को शीघ्र भिजवाये।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

18.03.24
(एच.एस. मोहन्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)

O/C

पृ. क्रमांक / एफ–1 / 845 / 2022 / 10–11 / 1669 भोपाल, दिनांक 18/03/2024

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक, रीवा वृत्त रीवा, मध्य प्रदेश।
2. वन मंडल अधिकारी, सामान्य वन मंडल शाजापुर / रायसेन, उत्तर साग / शिवपुरी म.प्र.। की ओर भारत सरकार के पत्र में वर्णित बिन्दु क्रमांक x की चाही गई जानकारी के अनुक्रम में लेख है कि क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु दी जा रही गैरवनभूमि कहीं वनभूमि / राजस्व वनभूमि तो नहीं ? क्या इन गैरवनभूमियों पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 लागू तो नहीं होता है ? स्पष्ट प्रतिवेदन देवे।
3. मेसर्स स्ट्राटटेक मिनरल रिसोर्सेज प्रा.लि., अड़ानी कार्पोरेट हाउस, शांतिग्राम एस.जी. हाईवे, अहमदाबाद, गुजरात

18.03.24

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल